(वाद संख्या–6516/16)

26.02.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राजेन्द्र प्रसाद सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक (नियुक्ति तिथि–05.07.1982), राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, गया को अपने कनीय रघुनाथ राम (नियुक्ति तिथि–20.01.1983) से कम वेतन निर्धारित किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''श्री राजेन्द्र प्रसाद,से0नि0 सहायक शिक्षक, राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, गया के वेतन स्टेप–अप करने पर निर्णय/परामर्श हेतु संबंधित संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी। वित्त विभाग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्ट तथ्य के साथ संचिका उपस्थापन करने का निदेश दिया गया। तद्आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2021 द्वारा परिवादी, श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं उनके कनीय श्री रघुनाथ राम के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि श्री प्रसाद का वेतन 31.03.1997 के बाद से उनसे कनीय के समतुल्य हो गया है। परन्तु उनके कनीय श्री राम का वेतन उत्क्रमित तिथि 20. 01(20 जनवरी) एवं श्री प्रसाद का वेतन उत्क्रमित तिथि 05.07 (05 जुलाई) रहने के कारण दिनांक–01.03.1989 से दिनांक–31.03.1997 तक की अवधि में वेतन अंतर बना हुआ है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया से प्राप्त उक्त सूचना/तथ्य के आलोक में समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ श्री प्रसाद के उक्त अवधि के वेतन स्टेप–अप (Step-up) प्रदान करने पर परामर्श/निर्णय हेतु संबंधित संचिका वित्त विभाग को पुनः भेजने हेतु प्रकियाधीन है। अंतिम निर्णय में कुछ समय लगने की संभावना है।''

अब, जबकि परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदनानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

<u>निबंधक</u>